

# मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्र./१२०८/MIS/एनआर-१०/NREGS-MP/2010

भोपाल, दिनांक ८/०३/२०१०

८/३/१०

प्रति,

1. जिला कलेक्टर/ जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी /अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम  
जिला ..... (समस्त 50 जिले)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2010-11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बाबत।

संदर्भ :- 1. पत्र क्रमांक/9537/एम.आई.एस./2008 दिनांक 20/10/2008 ।

-2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी द्वारा कलेक्टरस को प्रेषित अर्द्ध शास. पत्र दिनांक 25/7/2009 ।

3. संयुक्त सचिव, भारत सरकार का अर्द्ध शास. पत्र क्रं./k-11011/2/2008-NREGA(MON)  
/TS दिनांक 13/01/2010

—00—

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संयुक्त सचिव, भारत सरकार का संदर्भित अर्द्ध शास. पत्र (संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। निर्देशानुसार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 से मासिक प्रगति प्रतिवेदन का सृजन एम.आई.एस. साफ्टवेयर के माध्यम से होगा। अतः समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार क्रियान्वयन एजेंसीयों से डाटा कनेक्शन करना तथा जनपद पंचायत के एम.आई.एस. सेंटर में जॉबकार्डधारी परिवारों की जानकारी (बैंक/पोस्ट आफिस खातों की जानकारी सहित), कार्यों का विवरण, प्रत्येक मजदूर को उपलब्ध कराए गए साप्ताहिक रोजगार व उनके भुगतान का विवरण (मस्टररोल), प्रत्येक कार्य पर सामग्री पर व्यय, प्रशासनिक व्यय तथा जिले का फण्ड प्लो की अद्यतन जानकारी आगामी माह के 20 तारीख तक अपलोड कि जाना अनिवार्य होगी, जिससे कि प्रत्येक माह का मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एम.पी.आर.) आगामी माह की 22 तारीख तक आनलाइन सृजित हो सके। समय पर उक्त जानकारी जनपद एम.आई.एस. में फीड कर एनआरआईजीए पोर्टल पर अपलोड नहीं होने से जिले की वास्तविक प्रगति, एम.पी.आर में प्रतिवेदित नहीं हो पायेगी जिससे कि जिलों को राशि आवंटन में समस्या आयेगी।

जैसा कि आपको विदित होगा, भारत सरकार एवं परिषद् द्वारा एम.आई.एस. साफ्टवेयर के माध्यम से एम.पी.आर. सृजन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश पूर्व में जारी किए जा चुके हैं एवं नियमित वीडियो कांफ्रेंसिंग एवं समीक्षा बैठकों के माध्यम से जिलों को अवगत कराया गया है।

अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में माह अप्रैल 2010 से एम.आई.एस. के पूर्ण क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार एवं परिषद् के संदर्भित पत्रों अनुसार आवश्यक तैयारियों की समीक्षा कर कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी मार्गदर्शन हेतु मुझसे दूरभाष नम्बर 0755-4094818 अथवा मोबाईल नम्बर 9425005575 पर मुझसे संपर्क किया जा सकता है।

(उबैस अहमद)

सिस्टम एनालिस्ट एवं

स्टेट नोडल अधिकारी (एम.आई.एस.)

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

# मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेय हिल्स, भोपाल - ४६२०१९

क्र./2280/MIS/एनआर-10/NREGS-MP/2010

भोपाल, दिनांक 12/03/2010

प्रति,

1. जिला कलेक्टर/ जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम  
जिला ..... (समस्त 50 जिले)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2010-11 में एम.आई.एस. के माध्यम से एम.पी.आर. का सृजन बाबत।

संदर्भ :- 1. पत्र क्रमांक/9537/एम.आई.एस./2008 दिनांक 20/10/2008 ।

2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी द्वारा कलेक्टर को प्रेषित अर्द्ध शास. पत्र दिनांक 25/7/2009 ।

3. संयुक्त सचिव, भारत सरकार का अर्द्ध शास. पत्र क्र./k-11011/2/2008-NREGA(MON)  
/TS दिनांक 13/01/2010

4. परिषद् का पत्र क्रमांक/ 2205/MIS/एनआर-10/NREGS-MP/2010

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संयुक्त सचिव, भारत सरकार के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2010-11 में योजनान्तर्गत मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एम.पी.आर.) का सृजन एनआरईजीए-एम.आई.एस. साफ्टवेयर के माध्यम से होगा।

एम.आई.एस. से एम.पी.आर. सृजन हेतु समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार क्रियान्वयन एजेंसीयों से डाटा कलेक्शन करना तथा जनपद पंचायत के एम.आई.एस. सेंटर में जॉबकार्डधारी परिवारों की जानकारी (बैंक/पोस्ट आफिस खातों की जानकारी सहित) कार्यों का विवरण, प्रत्येक मजदूर को उपलब्ध कराए गए साप्ताहिक रोजगार व उनके भुगतान का विवरण (मस्टररोल), प्रत्येक कार्य पर सामग्री पर व्यय, प्रशासनिक व्यय तथा जिले का फण्ड फ्लो की अद्यतन जानकारी आगामी माह के 20 तारीख तक अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

समय-सीमा पर जनपद एम.आई.एस. में डाटा फीड कर एनआरईजीए पोर्टल पर अपलोड नहीं होने से जिले की वास्तविक प्रगति, एम.पी.आर. में प्रतिवेदित नहीं हो पायेगी जिससे कि जिलों को राशि आवंटन में समस्या आयेगी।

अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में माह अप्रैल 2010 से एम.आई.एस. के पूर्ण क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार एवं परिषद् के संदर्भित पत्रों अनुसार आवश्यक तैयारियां की समीक्षा कर कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी मार्गदर्शन हेतु सिस्टम एनालिस्ट से दूरभाष नम्बर 0755-4094818 अथवा मोबाईल नम्बर 9425005575 पर संपर्क किया जा सकता है।

  
12.3.10  
(ए.के.सिंह)

संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)  
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,  
भोपाल